न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 67/2017

रोशनदीन पुत्र बहार खां जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 7, 12 किशनावाली ढाणी जैतसर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलांट

बनाम

1. रेशमा पत्नी अदरीश माता नियामन पत्नी भांभू खां
2. अलादिता पुत्र बहार खां
3. बहार खां पुत्र सरदारे खां
4. सैयद पुत्री सरदारे खां
5. फरीद खां पुत्र फैजा
6. अजीज पुत्र फैजा
7. कुरसेदा पुत्री फैजा
8. सफेईया पुत्री फैजा
9. रेशम पुत्री फैजा
10. असरफ पुत्र नूर मोहम्मद
11. रमजान पुत्र नियामत पत्नी भंभू खां

जाति मुसलमान निवासीगण सरदारगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

दिनांक 15.03.2017

उपस्थित:—

श्री मंगतूराम नायक अभिभाषक अपीलांट

श्री आर.आर.ओझा अभिभाषक रेस्पों. सं. 1

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

8/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

निर्णय दिनांक 18.01.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी रेस्पों. सं. 1 ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 183, 209 के तहत पेश कर चक 19एस.डी. के खाता सं. 58/81, प.नं. 125/411(47)के कि.नं. 11 से 13, 18 से 23 में 2.977है0, प.नं. 126/411(48) के कि.नं. 15 से 17, 24, 25 में 1.265है0, प.नं. 126/412(65) कि.नं. 5 , 6, 15 में 0.759है0 व प.नं. 125/412(66) कि.नं. 1 से 3, 8 से 13 में 2.277है0 कुल 6.578है0 में वादीया का 0.329है0 रकबा है, शेष रकबा प्रतिवादी सं. 1 से 7 का है। अतः निवेदन है कि वादीया का अलग खाता कर कब्जा दिलाया जावे।

प्रतिवादी सं. 5/4 व 5/5 ने इकबाली जबाब दावा पेश कर दावा स्वीकार करने का निवेदन किया।

अधी.न्यायालय ने सुनवाई कर दिनांक 15.03.2017 को वादीया का वाद स्वीकार कर विभाजन के प्रस्ताव तहसीलदार से मंगवाने के आदेश दिये जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलां ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व सभी पक्षकारों को सुना नहीं गया। अधी. न्यायालय द्वारा सुना नहीं किया गया। अधी. न्यायालय द्वारा कानूनी प्रकियाओं की पालना किये बिना ही आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा वाद पेश होने पर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 5/4 व

18/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीमंगानगर (राज.)

5/5 ने इकबाली जबाब दावा पेश किया शेष किसी की ओर से जबाब दावा पेश नहीं किया गया। अधी. न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए जो आदेश दिये हैं वह उचित होने से अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 15.03.2017 के विरूद्ध दिनांक 22.05.2017 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र में जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं करने से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधी. न्यायालय में प्रतिवादी सं. 5/4 व 5/5 ने इकबाली जबाब दावा पेश किया। अपील मीमों में कहीं यह आपत्ति नहीं की है कि अधी. न्यायालय द्वारा किस रूप में अपीलाधीन आदेश में त्रुटि रही है। अपीलांट का यह कथन भी नहीं है कि वादीया को उससे अधिक भूमि का खातेदार घोषित किया हो एवं वादीया द्वारा जिस भूमि की मांग की गई है वह उसकी नहीं है। अधी. न्यायालय ने वाद का निर्णय दिनांक 15.03.2017 को करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की है एवं विभाजन के प्रस्ताव तहसीदार से मंगवाने के आदेश दिये हैं तथा अपील मीमों की तमाम आपत्तियां फाइनल डिक्री में सुनने के विकल्प को खुला रखते हुए अपील खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/1/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर